



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.12.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 983/24 धारा 2ख(1)/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बागपत द्वारा पूर्व में आपराधिक घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों 1-बबलू पुत्र ब्रह्म सिंह, 2-संदीप उर्फ



सुमित पुत्र जयवीर निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 3-अमित पुत्र जसवीर निवासीगण ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध उच्चाधिकारीगणों के आदेशानुसार थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 983/24 धारा 2ख(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 983/24 धारा 2ख(1)/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- बबलू पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2- संदीप उर्फ सुमित पुत्र जयवीर निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3- अमित पुत्र जसवीर निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उर्फ सुमित का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 733/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 734/20 धारा 354/323/504/506 भादवि, 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2)5a एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 979/23 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 733/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- मु0अ0सं0 979/23 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3- मु0अ0सं0 845/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4- मु0अ0सं0 973/23 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त बबलू का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 733/23 धारा 380/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

5-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

6-का0 556 इल्यास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 08.12.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 172/24 धारा 318(4) बीएनएस से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से ठगे गये रूपयों में से 24,200 रुपये नगद व मंहगे इत्र के नाम पर बेचे जाने वाली आक्सीटेट्रासाइक्लीन केमिकल की तीन शीशी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.12.2024

वादी श्री मीनू पुत्र स्व0

पलटू निवासी ग्राम

रामनगर थाना

सिंघावली अहीर

जनपद बागपत हाल

पता मुस्तफाबाद थाना

लोनी जनपद

गाजियाबाद ने सूचना

दी कि अभियुक्तों 1.



सलीम पुत्र अली मौहम्मद, 2. फरदीन पुत्र सलाउद्दीन निवासीगण मुस्तफाबाद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, 3. शमशेर पुत्र रहमुद्दीन निवासी पावी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व 4. गुलफाम पुत्र हकीमुद्दीन निवासी इकरामनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा इत्र की महक सुंघाकर उसे मालामाल करवा देने का झांसा देकर उससे 04 शीशी इत्र देने के नाम पर आक्सीटेट्रासाइक्लीन केमिकल के इंजेक्शन देकर 30 हजार रुपये ठग लिए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 172/24 धारा 318(4) बीएनएस से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से उगे गये 24,200 रुपये नगद व मंहगे इत्र के नाम पर बेचे जाने वाली आक्सीटेट्रासाइक्लीन केमिकल की तीन शीशी बरामद हुई हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सलीम पुत्र अली मौहम्मद निवासी मुस्तफाबाद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2-शमशेर पुत्र रहमुद्दीन निवासी पावी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 3-फरदीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी मुस्तफाबाद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 4-गुलफाम पुत्र हकीमुद्दीन निवासी इकरामनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- उगे गये रूपयों में से 24,200 रुपये नगद।
- मंहगे इत्र के नाम पर बेचे जाने वाली आक्सीटेट्रासाइक्लीन केमिकल की तीन शीशी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री पंकज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-है०का० 657 अवधेश शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4-का० 809 शिव कुमार सोलकी थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 08.12.2024

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत



थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1-अनुज पुत्र कर्ण सिंह निवासी ग्राम कुरड़ी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-इरशाद पुत्र हनीफ निवासी करबा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 410 राजवीर थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 524 सौपाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5-का0 227 अनिल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 08.12.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 418/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गयी स्कूटी जुपीटर नं० DL-5SCA-1218 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.12.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री विदित पुत्र दिनेश कुमार निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी स्कूटी जुपीटर नं० DL-5SCA-1218 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 418/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 418/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की गयी स्कूटी जुपीटर नं० DL-5SCA-1218 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण पुत्र पप्पू निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त अरुण का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 18/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 399/18 धारा 380/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 344/18 धारा 380/411/457 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 400/18 धारा 380/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- स्कूटी जुपीटर नं0 DL-5SCA-1218


गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा ।

2-म0उ0नि0 यूटी शीतल थाना खेकड़ा ।

3-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकड़ा ।

4-का0 911 श्यामवीर सिंह थाना खेकड़ा ।





प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 08.12.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 204/24 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 204/24 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अली अब्बास पुत्र इमामी निवासी ग्राम तिरसा थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-है०का० 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।